

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 10 सितम्बर, 2001 (भाद्र 19, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नकाल

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री सत्येन्द्र पाठक, राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड का 24 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री अनूप मिश्रा, नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, छिंदवाड़ा में आयोजित किसान मेले में एक पूर्व मंत्री को अपमानित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) कुंवर विजय शाह, सुश्री निर्मला भूरिया, श्री कमल पटेल, सदस्य, खंडवा जिले के इंदिरा सागर परियोजना के डूब प्रभावितों को जमीन का मुआवजा दिये जाने में भेदभाव होने की ओर नर्मदा घाटी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

चौधरी राकेश सिंह, सभापति, मध्यप्रदेश भूमि प्रबंधन विधेयक, 1999 (क्रमांक 30 सन् 1999) पर निर्मित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री जुगुल किशोर, सदस्य, सतना जिले के -
 - (क) ग्राम रैगांव में पुलिस चौकी खोले जाने; तथा
 - (ख) ग्राम रैगांव में उप-स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा दिलाये जाने,
- (2) श्री जोधाराम गुर्जर, सदस्य, भोपाल जिले के -
 - (क) ग्राम ईटखेड़ी में शासकीय स्कूल का नवीन भवन बनाये जाने,
 - (ख) ग्राम कोतुखेड़ी खुर्द में विद्यालय भवन बनाये जाने,
 - (ग) ग्राम जमूसर खुर्द में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
 - (घ) ग्राम कांदोखेड़ी में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
 - (ङ) ग्राम सोनकच्छ में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
 - (च) ग्राम कदैया शाह में विद्यालय भवन बनाये जाने,
 - (छ) ग्राम हिनोतिया घाट में विद्यालय भवन बनाये जाने; तथा
 - (ज) ग्राम मूडला चट्टान में विद्यालय भवन बनाये जाने,
- (3) श्री चन्द्रशेखर देशमुख, सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम बिसनुर स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
- (4) श्री हरिन्दर जीत सिंह (बब्बू), सदस्य, भोपाल नगर के नेहरू नगर क्षेत्र स्थित मकान नम्बर बी.एम.23 के सामने कचरा टूली रखवाये जाने,
- (5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के -
 - (क) सिरोंज नगर में 132 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने,
 - (ख) ग्राम नरखेड़ा जागीर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने; तथा
 - (ग) सिरोंज नगर में सिविल डिस्पेन्सरी खोले जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

समय

7. वर्ष 2001-2002 की प्रथम अनुसूचक मीमांसा पर मतदान

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,48,49,50,55,56,57,59, 60,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87, 88,89,90,91,92,93 तथा 94 के तहत राज्य की संविधान विधि में से प्रस्तावित व्यय के निम्नित राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर पन्द्रह स्त्री छात्रों को तैयार, छात्रावास हजार रुपये की अनुसूचक राशि दी जाय."

8. शासकीय विधि विधायक कार्य

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2001 (क्रमांक 17 सन् 2001) का पुरःस्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री हरवंश सिंह, वन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) विधेयक, 2001 (क्रमांक 14 सन् 2001) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. नियम 139 के अर्धीन अधिलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

मध्यप्रदेश में सड़कों की चर्जर हालत होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

श्रीपाल :
दिनांक : 9 सितम्बर, 2001
मध्यप्रदेश विधान सभा.

* अनुसूचक मीमांसा का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.